संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / 4343 / आर.पी.सी. / नग्रानि / 2014 भोपाल, दिनांक 16/9/14

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
उप संचालक,
सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय... समस्त जिलाकार्यी :

विषयः– दिनांक 5.9.2014 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण ।

———

दिनांक 5.9.2014 को मंत्रालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सम्पन्न हुई । वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गयेः–

1. **स्थापनाः–**

(1) संयुक्त संचालक, ग्वालियर द्वारा बताया गया कि ग्वालियर कार्यालय में 2 कम्प्यूटर आपरेटर के पद स्वीकृत थे उनमें से वर्तमान में एक ही कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है ऐसी स्थिति में कार्य करने में असुविधा हो रही है ।

(2) उप संचालक देवास, गुना एवं छिन्दवाड़ा द्वारा भी अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में भी कोई कम्प्यूटर आपरेटर को पदस्थ नही किया गया गया है। इसी प्रकार जिला कार्यालय कटनी में भी कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति नही की गई है ।

उप संचालक स्थापना द्वारा अवगत कराया गया है कि निकट भविष्य में 8 रिक्तियों को भरा जाना है जिसमें से आपके कार्यालयों की पूर्ति भी की जावेगी, साथ ही स्थान परिवर्तन भी 8 नियुक्ति के समय संभव होगा ।

(3) संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जबलपुर कार्यालय के लिये नियुक्त सहायक ग्रेड–3 के द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया गया है, इसलिये प्रतिक्षा सूची के अनुसार अगले कर्मचारी को पदस्थ किया जाय । संयुक्त संचालक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उनके कार्यालय में वाहन चालक एवं भृत्य का पद रिक्त है जिसे समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाल कर संविदा से भरा जाना है

लेकिन विज्ञप्ति के लिये जनसंपर्क विभाग से कार्यवाही नही होने से कार्य नही हो पा रहा है ।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित की जानी है ।

(4) जिला कार्यालय रीवा द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके कार्यालय में केवल 3 तकनीकी कर्मचारी है जो कि शहडोल, सिंगरौली एवं रीवा का कार्य कर रहे हैं इसलिये उन्हें कुछ तकनीकी कर्मचारी और दिये जाय ।

तकनीकी कर्मचारियों के पद की पूर्ति की कार्यवाही व्यापम के माध्यम से की जा रही है जैसे–जैसे पूर्ति होगी तदनुसार पदस्थापना की जायेगी ।

(5) जिला कार्यालय छतरपुर द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में पदस्थ दफ्तरी पिछले 24 वर्षो के एक ही पद पर कार्यरत है उन्हें अभी तक कोई क्रमोन्नति नही दी गई है इसलिये उनका प्रकरण मुख्यालय भेजा गया है जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है । इस बिन्दु पर अपर संचालक द्वारा उप संचालक(स्था) को निर्देशित किया गया है कि जितने भी कर्मचारियों के प्रकरण कमेटी के समक्ष रखे गये थे उन सभी पर निर्णय लिया जा चुका है इस प्रकरण को कमेटी के समक्ष क्यों नही रखा गया ? जिस कर्मचारी द्वारा यह प्रकरण कमेटी के समक्ष नही रखा गया है उसे कारण बताओं सूचना जारी करें ।

(कार्यवाही स्थापना कक्ष)

(6) जिला कार्यालय इन्दौर द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय के तीन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था लेकिन उनके पदस्थापना अन्यत्र की गई है अतः उन्हें इन्दौर में ही पदस्थ किया जावे । इस बिन्दु पर संयुक्त संचालक को अवगत कराया गया कि यदि कर्मचारी पदोन्नति लेना चाहता है तो उन्हें उनके पदस्थापना स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिये कार्यमुक्त किया जाय । यदि वह वही कार्य करना चाहता है तो उसी पद पर कार्य करें ।

2. <u>बजट / लेखा</u>

(1) 1.8.2014 की वीडियों कॉन्फ्रेंस में उन जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया था जिनके कार्यालय से राजस्व प्राप्तियों की जानकारी के साथ उनके कर्मचारी उपस्थित नही हुए थे उन्हें उपस्थित होने के लिये कहा गया था लेकिन उपरोक्त निर्देशों के

बाबजूद भी जिला कार्यालय जबलपुर, देवास, रतलाम, मण्डला, सागर, भोपाल, शहडोल, अनुपपुर, विदिशा, एवं बैतूल के कर्मचारी चाही गई जानकारी के साथ उपस्थित नही हुए है इस पर अपर संचालक द्वारा आज उपरोक्त जिला कार्यालयों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके कर्मचारी चाही गई जानकारी के साथ उपस्थित नही होते हैं तो संबंधित जिला कार्यालय को कारण बताओं सूचना जारी की जायेगी ।

(2) सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को बार–बार निर्देशित किया जाता है कि वे आय–व्यय की जानकारी प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में भरकर संचालनालय को भेजे लेकिन प्रायः यह देखने में आया है जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सही रूप से नही भरी जाती है, कई बार यह भी देखने में आया है कि कर्मचारियों को वेतन–भत्तों का आहरण निर्धारित बजट शीर्ष से हटकर दूसरे मद से कर दिया जाता है, लेकिन जब ए.जी.एम.पी. ग्वालियर में आंकड़ों का मिलान करवाया जाता है तो वहां हमारे विभाग के ऑकड़ों में काफी भिन्नता आती है इसलिये प्रत्येक कार्यालय निर्धारित मद से ही वेतन भत्तों का आहरण करें ।

(3) जिला कार्यालयों से बजट की आवश्यकता के संबंध में जानकारी लेने पर केवल जिला कार्यालय देवास द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें 2621–22–007 में रूपये 10000/– एव 2621–22–008 में रूपये 5000/– की आवश्यकता है ।

3. **स्ट्रक्चर प्लान–**

पिछली बैठक में सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया था कि वे नई गाईड लाईन के मापदण्डों के अनुसार स्ट्रक्चर प्लान तैयार करें ।
(1) जिला कार्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि जबलपुर में करेली, सागर में बण्डा का कार्य प्रगति पर है । इन्दौर कार्यालय द्वारा सावेर का स्ट्रक्चर प्लान अगले सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । जिला कार्यालय खरगौन द्वारा बताया गया कि बड़वा, सनावत और भिकनगाव के स्ट्रक्चर प्लान 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर देंगे । रीवा में महूगंज एवं बैकुण्ठपुर के स्ट्रक्चर प्लान का कार्य प्रगति पर है, गाडरवाड़ा का प्लान मैपकास्ट को भेजा जा चुका है, निर्देशित किया गया है कि जिला कार्यालय द्वारा संचालनालय में प्लान प्रस्तुत करने पर ही प्रगति मानी जावेगी ।

(2) जिला कार्यालय होशंगाबाद द्वारा सिवनी मालवा एवं टिमरनी का स्ट्रक्चर प्लान पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है इसके साथ ही छतरपुर द्वारा बड़ा मल्हारा का स्ट्रक्चर प्लान अगले महिने में जमा करने का अश्वासन दिया गया है। जिला कार्यालय भोपाल

द्वारा इछावर एवं जावर का स्ट्रक्चर प्लान पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । जिला कार्यालय राजगढ द्वारा बताया गया था कि जीरापुर एवं पचौर के नक्शे तैयार हो चुके है जिला कलेक्टर के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित की जायेगी ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके ।

(3) जिला कार्यालय ग्वालियर द्वारा बताया गया कि भाण्डेर, मेहगांव एवं लहार के स्ट्रक्चर प्लान तैयार का प्रस्तुत किया जा चुका है ।

इस संबंध में सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये गये है कि उनके द्वारा यदि पुरानी गाईड लाईन के अनुसार स्ट्रक्चर प्लान तैयार कर प्रस्तुत किये गये है तो वे तत्काल उसमें नई गाईड लाईन के अनुसार संशोधन कर प्रस्तुत करें ।

(कार्यावाही समस्त जिला कार्यालय)

4. <u>विकास योजना</u>

(1) संयुक्त संचालक उज्जैन द्वारा बताया गया कि आगर जिले की विकास योजना का कार्य इसी त्रैमास में पूर्ण किया जाना था जिसमें भूमि उपयोग का प्रकाशन कर उस पर सुनवाई हो चुकी है शेष कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(2) ओरछा के संबंध में जिला अधिकारी द्वारा बातया गया कि इसके नक्शे मैपकास्ट में तैयार हो चुके है जिसके लिये तीन चेप्टर भी लिखे जा चुके है । उसके भी समय सीमा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(3) जिला कार्यालय होशंगाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि इटारसी की योजना पर मैपकास्ट को प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी दी जा चुकी है । जिला कलेक्टर के समक्ष अगले सप्ताह में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है तत्पश्चात उसके अंतिम रूप दिया जायेगा ।

(4) जिला कार्यालय छिन्छवाड़ा द्वारा बताया गया कि पार्ण्ढना के लिये प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किये जा चुके हैं शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(5) संयक्त संचालक इन्दौर द्वारा बताया गया कि इन्दौर विकास योजना के संबंध में संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा गया है जो अभी प्राप्त नही हुए है । इन्दौर विकास योजना के पूरे पैनल तैयार हो चुके हैं । संयुक्त संचालक को बताया गया कि इस संबंध में एक बैठक मुख्यालय में रखी जायेगी जिसमें विकास योजना में आने वाली दिक्कतों पर विचार किया जायेगा ।

5. सूचना एवं प्रौद्योगिकी

(1) जी.आई.एस. के लिये चार जिला भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के अनुज्ञाओं को स्केनिंग कर बेवसाईड पर अपलोड किये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया था जो कि अभी तक पूर्ण नही हो पाया है इसके लिये अंतिम तिथि 15.9.2014 नियत है । सभी कार्यालय जिनका कार्य पूर्ण नही हो पाया है वे निर्धारित तिथि तक कार्य का पूर्ण करने की कोशिष करें ।

(2) अलपास का रूल इंजन नही आया है । विभाग की परमिशन का ऑन लाईन कार्य भी पूर्ण नही हो पाया है । संचालनालय द्वारा जिन खसरा मानचित्रों के पैनल बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है अगली विडियों कॉन्फ्रेस में सूची के साथ उपस्थि हो ।

(3) जिला स्तर पर आई.टी. में कोई प्रगति प्राप्त नही हो रही है । जिला स्तर पर यह लगता है कि उनका वेण्डर के साथ समन्वय की कमी है इसलिये काय में गति नही आ रही है । जिला कार्यालयों को पूर्व में भी कहा गया है कि उनके कार्यालय में किस उपकरण की आवश्यकता है वे नियमानुसार उसका क्रय करें ताकि कार्य प्रभावित नही हो इसके लिये पर्याप्त बजट प्रावधान है ।

(4) मानव संसाधन– सभी जिलों में कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये कर्मचारी उपलब्ध है यदि कही अड़चन आ रही है तो स्थानीय स्तर पर कोई कर्मचारी मिलता है तो उसे कार्य ले सकते है इसका भुगतान सिटोप से करने का विचार किया जायेगा लेकिन भुगतान प्रति दिवस के मान से किया जायेगा ।

6. विधि–

(1) इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के शासकीय अधिवक्ताओं के साथ विधि विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को होती है इसलिये विभाग से संबंधित प्रकरणों के की जानकारी के साथ विभागीय अधिकारी की उपस्थित उपस्थिति चाही गई है । अतः भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर के जिला अधिकारी शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विडियों कॉन्फ्रेसिंग में अवश्यक रूप से रहें तथा जिन प्रकरणों में विधि विभाग से सहायोग अपेक्षित है वह भी शासकीय अधिवक्ता को बताये ताकि कॉन्फ्रेसिंग में चर्चा हो सके ।

(2) जिला कार्यालयों से उनके कार्यालय में प्रचलन में कितने प्रकरण है की जानकारी चाही गई थी जिसमें से 18 कार्यालयों द्वारा जानकारी की हार्ड कापी हार्ड कापी भेजी गई है लेकिन इसकी सॉफ्ट कापी प्राप्त नही हुई है सभी जिला कार्यालय इसकी सॉफ्ट कापी भी संचालनालय को भेज दें । शेष कार्यालय भी चाही गई जानकारी तत्काल हार्ड एवं शाफ्ट कापी में भेजे ।

(3) सभी कार्यालय जिन प्रकरणों में अपील की जानी है उनका रिकार्ड अलग से संधारित करें एवं उसकी जानकारी संचालनालय को समय समय पर देते रहे ।

अंत में सभी जिला कार्यालयो से जानकारी चाही गई कि वे सूचना प्रौद्योगिकी में अपने कार्यालय में क्या–क्या सुधार करवाना चाहते हैं, उसकी जानकारी तत्काल संचालनालय को भेजे ताकि उसके आधार पर बजट आवंटित किया जा सके ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/ /आर.पी.सी./नग्रानि/2014 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल,
2/ संयुक्त संचालक विकास योजना/तकनीकी कक्ष/सामान्य कक्ष/बजट/स्था/प्रादेशिक नियोजन/सूचना एवं प्रौद्योगिकी/प्रोजेक्ट कक्ष नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल,
3/ संचालक (समन्वय) स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग भोपाल,
4/ उप संचालक(स्था) नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल ।
5/ श्री विवेक कटारे, वैज्ञानिक मैपकास भोपाल को सूचनार्थ
6/ निज सहायक आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
7/ आई.टी. शाखा नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल